

अतिआवश्यक

राजस्थान सरकार

निदेशालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक एफ 20(101)आयो.भि./बजट/लेखा/निकाशि/2012-13/18)

दिनांक - 31/08/12

प्राचार्य,
राजकीय महाविद्यालय,
टोडाभीम, गोविन्दगढ, थानागाजी, उनियारा, झुंझुनू, ~~मेमलमढ~~ फालोदी, पोकरण,
जेतारण, सोजतसिटी, केलवाडा, रामगंजमण्डी, भीम, कोटडा, खेरवाडा, कन्या नागौर,
~~कन्या~~, सादुल शहर, जैसलमेर, कोटपुतली ।


विषय:- सम्बन्धित विश्वविद्यालय से महाविद्यालय का स्थायी सम्बद्धता प्राप्त करने बाबत ।

संदर्भ:- निदेशालय के प.क्र. एफ 20(1)आयो/निकाशि/07/365 दिनांक 22.3.2012

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि संदर्भित पत्र के द्वारा आपके महाविद्यालय को स्थायी सम्बद्धता प्राप्त करने हेतु आदेशित किया गया है । स्थायी सम्बद्धता के लिए विश्वविद्यालय से प्राप्त मांग राशि के पत्र को संलग्न करने हुए स्थायी सम्बद्धता के लिए सम्बद्धता शुल्क राशि के प्रस्ताव फैक्स नम्बर 0141-2703897 द्वारा दिनांक 5 सितम्बर, 2012 तक आवश्यक रूप से प्रेषित करें, जिससे वित्त वर्ष 2012-13 के लिए सम्बद्धता शुल्क मद में आवश्यक बजट प्रावधान हेतु पत्रावली वित्त विभाग भिजवायी जा सके ।


भवदीय,



मुख्य लेखाधिकारी
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ 20(101)आयो.भि./बजट/लेखा/निकाशि/2012-13/ दिनांक -

1 श्री धीरेन्द्र देवर्षि, व्याख्याता को बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।



मुख्य लेखाधिकारी
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर